

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1747, 1748 व 1749 / 2012 / भीलवाड़ा

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वृत्त-भीलवाड़ा।

.....अपीलार्थी

बनाम्

श्री. डी.डी.गट्टानी, भीलवाड़ा।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एन.एस.राठौड़,
उप-राजकीय अभिभाषक।

...अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.एस.जैथलिया,
अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक :- 23.01.2014

निर्णय

1. यह तीनों अपीलें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत्त-भीलवाड़ा, (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर भीलवाड़ा, (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक्-पृथक् अपीलीय आदेश दिनांक 16.03.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जो क्रमशः अपील संख्या 91/वैट/2011-12, 93/सी.एस.टी./2011-12 व अपील संख्या 92/वैट/2011-12 के संबंध में है तथा जिनमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003, (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 30 सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "विक्रय कर अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 26, 28, 58, 65 व 68 सपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9 के तहत क्रमशः निर्धारण वर्ष 2003-04, 2006-07 व 2006-07 के लिये पारित पृथक्-पृथक् निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 05.03.2009, 25.03.2009 व 25.03.2009 के जरिये कायम की गयी मांग राशि क्रमशः ₹21,34,999/-, ₹6,66,897/-, ₹14,99,552/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त कर, प्रकरणों को निर्धारण अधिकारी को कतिपय निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया गया है।

2. चूंकि तीनों अपीलों में तथ्यात्मक एवम् विवादित बिन्दु सादृश्य है। अतः तीनों अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

3. प्रकरणों में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है :-

अपील संख्या 1747/12/भीलवाड़ा :- प्रत्यर्थी व्यवहारी का कर निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिये मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.08.2005 को पारित किये जाने के पश्चात् विभाग को यह शिकायत प्राप्त हुई कि विस्फोटक (explosive) के जयपुर व भीलवाड़ा संभाग के

लगातार.....2

व्यवहारी राज्य के भीतर विक्रय को गलत घोषणा प्रपत्र 'सी' के समर्थन से मध्यप्रदेश राज्य में अन्तर्राज्यीय वाणिज्य एवं व्यवहार में घोषित कर रहे है। विभाग द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से मध्यप्रदेश के व्यवहारियों को घोषित किये गये विक्रय की जांच मध्यप्रदेश के बिक्री कर विभाग से करवाई जाकर आलौच्य अवधि के विवादित विक्रय के संबंध में प्राप्त की गई जांच के अनुसार निम्न प्रकार पाया गया :-

क्र.सं.	सी फार्म संख्या	जारी कर्ता फर्म	प्रस्तुत घोषणा पत्र की राशि	सत्यापन	अन्तर	कारण
1.	386711	अठाना एक्सप्लोसिव अठाना नीमच मध्यप्रदेश	₹562690/-	₹40240/-	₹522450	क्रेता द्वारा घोषणा पत्र में क्रय विक्रय 40240/-घोषित की है।
2.	193659	श्रामराजा एन्टरप्राइजेज, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश	₹414400/-	-	₹414400/-	क्रेता ने घोषणा पत्र में रूपये 414400/- माल क्रय करना बताया है।
3	आरसी/ 98-0764 898	शिवानी एन्टरप्राइजेज, चित्तौड़गढ़	₹1485100/-	-	₹1485100/-	क्रेता ने घोषणा पत्र में रूपये 1485100/- माल क्रय करना बताया है।
4	सी-2-0 344271	गयत्री ट्रेडिंग कम्पनी, गुना, मध्यप्रदेश	₹2063535/-	₹903980/-	₹1159555/-	क्रेता ने घोषणा पत्र में रूपये 903980/- माल क्रय करना बताया है।
5	1299650 3	शगुन एन्टरप्राइजेज, जयपुर	₹600400/-	₹228000/-	₹372400/-	क्रेता ने घोषणा पत्र में रूपये 228000/- माल क्रय करना बताया है।
		योग	₹5126125/-	₹11,72,220/-	₹39,53,905/-	

इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह माना गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने उक्त असत्यापित विक्रय राज्य के भीतर किया जाकर इसे अन्तर्राज्यीय वाणिज्य एवं व्यवहार में घोषित कर अधिक राशि पर 'सी' फार्म के समर्थन से रियायती कर दर का लाभ लिया है। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल कर निर्धारण आदेश को पुनः खोलकर कम दर से करारोपण होने से निर्धारण से छूट गये कर को पुनः निर्धारण हेतु अधिनियम की धारा 30 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उक्त सूची में वर्णित क्रम संख्या 1 व 2 के घोषणा पत्रों से की गई बिक्री में असत्यापित विक्रय रूपये 16,82,005/- को राज्य के भीतर बिक्री मानते हुए अन्तर कर @ 14.4% से ₹2,42,209/- व घोषणा प्ररूप ई-1 के समर्थन में किया गया विक्रय ₹18,57,500/- प्रमाणित नहीं करने के अभाव में 18.4 प्रतिशत की दर से

कर ₹3,41,780/- आरोपित किया तथा अन्तर कर राशि के समय पर जमा नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 58 के तहत ब्याज ₹3,83,032/- का आरोपण करने के साथ कूटरचित घोषणा पत्रों से कर में छूट का गलत लाभ प्राप्त कर करापवंचन के लिये अधि नेयम की धारा 65 के तहत शास्ति ₹11,67,978/- आरोपित करते हुए कुल ₹21,34,999/- की मांग कायम की गयी।

अपील संख्या 1748 / 12 / भीलवाड़ा :- प्रत्यर्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2006-07 के संबंध में विभाग को यह शिकायत प्राप्त हुई कि विस्फोटक (explosive) के जयपुर व भीलवाड़ा संभाग के व्यवहारी राज्य के भीतर विक्रय को गलत घोषणा प्रपत्र 'सी' के समर्थन से मध्यप्रदेश राज्य में अन्तर्राज्यीय वाणिज्य एवं व्यवहार में घोषित कर रहे हैं। विभाग द्वारा व्यवहारी की ओर से मध्यप्रदेश के व्यवहारियों को घोषित किये गये विक्रय की जांच मध्यप्रदेश के बिक्री कर विभाग से करायी जाकर आलोच्य अवधि के विवादित विक्रय के संबंध में जांच की गयी। जांच करने पर यह पाया कि मध्य प्रदेश राज्य की कथित व्यवहारियों द्वारा विक्रय के समर्थन में जारी घोषणा पत्रों द्वारा घोषित विक्रय का मिलान राजस्थान की पंजीकृत एक्सप्लोसिव व्यवहारियों द्वारा की गयी अन्तर्राज्यीय विक्रय के समर्थन में प्रस्तुत किये घोषणा प्रपत्रों में अंतर पाया गया। इस संबंध में घोषणा प्रपत्र "सी" के जरिये किये गये विक्रय में अंतर पाये जाने पर करापवंचन का अभियोग दर्ज किया जाकर प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 सपठित अधिनियम की धारा 18, 25, 55, 58 61 व 64 जारी किया गया। नोटिस की पालना में व्यवहारी की ओर से किसी प्रकार का जवाब प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में मैसर्स शिवानी एन्टरप्राइजेज, चित्तौड़गढ़ को केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 6(2) के तहत किये गये विक्रय के संबंध में प्रस्तुत घोषणा प्ररूप कुल रू० ₹36,46,322/- जो कमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय तिमाही की अवधि से संबंधित थे, को इस आधार पर सत्यापन के अभाव में अस्वीकार कर दिया गया कि उक्त फर्म द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र को निरस्त करने संबंधी आवेदन पत्र दिनांक 31.03.2006 को प्रेषित किया गया जिसके क्रम में विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र को दिनांक 01.04.2006 से निरस्त कर दिया गया है। अतः उक्त विक्रय पर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा 12.5 प्रतिशत की दर से कर ₹4,55,790/-, अनुवर्ती ब्याज ₹1,32,182/- व अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के तहत शास्ति ₹9,11,580/- आरोपित कर आदेश पारित किया गया। इसी प्रकार आलोच्य अवधि में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा की गयी कर योग्य विक्रय ₹1,47,650/- पर 4 प्रतिशत की दर से कर ₹5,996/- आरोपित कर आदेश पारित किया गया।

अपील संख्या 1749 / 12 / भीलवाड़ा :- प्रत्यर्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2006-07 के संबंध में विभाग को यह शिकायत प्राप्त हुई कि विस्फोटक (explosive) के जयपुर व भीलवाड़ा संभाग के व्यवहारी राज्य के भीतर विक्रय को गलत घोषणा प्रपत्र 'सी' के समर्थन से मध्यप्रदेश राज्य में अन्तर्राज्यीय वाणिज्य एवं व्यवहार में घोषित कर रहे हैं। विभाग द्वारा व्यवहारी की ओर से मध्यप्रदेश के व्यवहारियों को घोषित किये गये विक्रय की जांच मध्यप्रदेश

के बिक्री कर विभाग से करायी जाकर आलोच्य अवधि के विवादित विक्रय के संबंध में जांच की गयी। जांच करने पर यह पाया कि मध्य प्रदेश राज्य की कथित व्यवहारियों द्वारा विक्रय के समर्थन में जारी घोषणा पत्रों द्वारा घोषित विक्रय का मिलान राजस्थान की पंजीकृत एक्सप्लोसिव व्यवहारियों द्वारा की गयी अन्तर्राज्यीय विक्रय के समर्थन में प्रस्तुत किये घोषणा प्रपत्रों में अंतर पाया गया। इस संबंध में घोषणा प्रपत्र "सी" के जरिये किये गये विक्रय में अंतर पाये जाने पर करापवंचन का अभियोग दर्ज किया जाकर प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस अधिनियम की धारा 18, 25, 55, 58 61 व 64 जारी किया गया। नोटिस की पालना में व्यवहारी की ओर से किसी प्रकार का जवाब प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में मैसर्स सरस्वती एन्टरप्राइजेज, नीमच, मध्य प्रदेश को केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 6(2) के तहत किये गये विक्रय के संबंध में प्रस्तुत घोषणा प्ररूप कुल रू0 ₹15,27,023/- को इस आधार पर सत्यापन के अभाव में अस्वीकार कर, राज्य के भीतर बिक्री मानते हुए अन्तर कर @12.5 % से ₹1,90,878/- आरोपित किया तथा इस अन्तर कर राशि के समय पर जमा नहीं होने के कारण ब्याज ₹57,270/- का आरोपण करने के साथ कूटरचित घोषणा पत्रों से कर में छूट का गलत लाभ प्राप्त कर करापवंचन के लिये अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के तहत शास्ति ₹3,81,756/- आरोपित करते हुए कुल रूपये ₹4,37,364/- की मांग कायम की गयी।

इसी प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में मैसर्स शिवानी एन्टरप्राइजेज, चित्तौड़गढ़ से ₹68,248/- का क्रय किया जाना प्रकट कर, ₹8,531/- का आगत कर का मुजरा चाहा गया। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने जांच कर यह पाया कि उक्त फर्म द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र को निरस्त करने संबंधी आवेदन पत्र दिनांक 31.03.2006 को प्रेषित किया गया जिसके क्रम में विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र को दिनांक 01.04.2006 से निरस्त कर दिया गया है। अतः उक्त क्रय के सत्यापन के अभाव में चाहे गये आगत कर के मुजरे को अस्वीकार कर, अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के तहत शास्ति ₹17,062/- अनुवर्ती ब्याज ₹2,890/- रिवर्स कर ₹8,531/- आरोपित कर आदेश पारित किया गया।

4. उक्त अवधियों से संबंधित पारित निर्धारण आदेशों के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार कर, प्रकरणों को कतिपय निर्देशों के साथ निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त पारित अपीलीय आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।


5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थी के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि प्रत्यर्थी ने मिथ्या घोषणा प्रपत्र 'सी' के समर्थन से रियायती कर दर का लाभ लेकर करापवंचन किया है। राज्य के बाहर के क्रेताओं द्वारा विभाग को दी गई सूचना के अनुसार उनके द्वारा प्रत्यर्थी से क्रय किये गये माल को घोषणा प्रपत्रों में अंकित किया गया था, लेकिन प्रत्यर्थी ने उनके द्वारा जारी घोषणा प्रपत्रों में अन्य बिलों का अंकन कर

अधिक विक्रय को अन्तर्राज्यीय संव्यवहार में दर्शाते हुए इस पर रियायती दर से कर चुकाया है तथा घोषणा पत्रों में दर्शाई गई अतिरिक्त विक्रय राशि राज्य के भीतर की बिक्री है। इस प्रकार माल विक्रेता प्रत्यर्थी व्यवहारी ने ही घोषणा पत्रों में अधिक बिक्री दर्शाकर करापवंचन किया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश में व्यवहारी की करापवंचित बिक्री पर अन्तर करारोपण करते हुए अनुवर्ती ब्याज एवं शास्ति उचित रूप से आरोपित की गई थी। अपीलीय अधिकारी ने बिना किसी समुचित कारण के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त करने का विधि विपरीत आदेश पारित किया है। उक्त कथन के साथ विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

7. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी की अन्तर्राज्यीय वाणिज्य एवं व्यवहार में घोषित बिक्री उसकी लेखा पुस्तकों में अंकित है। अग्रिम कथन किया कि प्रत्यर्थी विस्फोटक का व्यवहारी होने से इस पर एक्सप्लोजिव नियंत्रक अधिकारियों का नियंत्रण रहता है एवं उनको हर माह एक्सप्लोसिव नियम, 1983 के तहत सूचना निर्धारित प्रारूप में दी जाती है। विद्वान अभिभाषक ने विस्फोटक विक्रय प्रक्रिया का वर्णन करते हुए बताया कि क्रेता व्यवहारियों द्वारा सर्वप्रथम फार्म-37 में इण्डेंट (Indent) पेश किया जाता है एवं उसके बाद चालान से माल गोदाम से बाहर निकाला जाकर उसका बिल बनता है तथा माल लाईसेन्सधारी ट्रांसपोर्ट कम्पनी को फॉर्म 16 में पास जारी किया जाता है। एक्सप्लोजिव का स्टॉक फॉर्म 'एफ' में संधारित किया जाता है एवं माल विक्रय का दैनिक विवरण फार्म M-33 में रखा जाकर मासिक विवरण प्रेषित किया जाता है। क्रेताओं द्वारा विस्फोटक के विक्रय मूल्य का भुगतान चैक/डी.डी. से किया गया है; जो व्यवहारी के खातों से स्पष्ट है। प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक की ओर से विस्फोटक विक्रय के साक्ष्यों की छायाप्रतियां प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि जितना विक्रय अन्तर्राज्यीय संव्यवहार में किया गया है उतनी ही राशि के 'सी' फॉर्म क्रेता व्यवहारियों से प्राप्त हुए हैं तथा क्रेता व्यवहारी के अपने 'सी' फॉर्म की कार्यालय प्रति (Counter foil) पर घोषित की गई क्रय राशि के लिए विक्रेता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। उनके द्वारा उक्त तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये :-

1. सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त जयपुर बनाम मैसर्स मैट्रो एप्लायेसेज लि०, जयपुर (2007) 19 TUD 206 (राजस्थान उच्च न्यायालय)।
2. मैसर्स कार्तिक इलेक्ट्रिक कंट्रोल बनाम सीटीओ, कोयम्बटूर (2008) 15 VST 450 (मद्रास उच्च न्यायालय)।
3. मैसर्स स्टार पेपर्स मिल्स लि०, बनाम आयुक्त बिक्री उत्तरप्रदेश (लखनऊ) (2005) 139 STC 245 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय)।
4. हरियाणा राज्य बनाम इनालसा लि०, (2011) 42 VST 192 (P&H)।



8. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी का यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी की ओर से विस्फोटक के अन्तर्राज्यीय विक्रय के समर्थन में सभी सबूत/साक्ष्य कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश कर दिये जाने के बावजूद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश में इनके विरुद्ध अथवा खण्डन बावत् कोई तथ्य अंकित नहीं किये गये है। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को क्रेता व्यवहारियों से प्रतिपरीक्षण हेतु अनुरोध करने पर भी नहीं कराया गया। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के घोषणा प्रपत्र 'सी' के समर्थन से किये गये अन्तर्राज्यीय संव्यवहार को बिना किसी प्रमाण के राज्य के भीतर की बिक्री होना अवधारित करने को उचित नहीं माना जा सकता है। प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधियों में अन्तर्राज्यीय विक्रय के समर्थन में क्रेताओं से प्राप्त सद्भावी 'सी' फार्म प्रस्तुत किये गये है तथा किसी प्रकार का करापवंचन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी की आलौच्य अवधियों में विस्फोटक की विवादित अन्तर्राज्यीय बिक्री के संबंध में किसी प्रकार का करापवंचन नहीं किया जाना मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज व शास्ति की मांग को अपास्त करने की प्रार्थना की गयी ।

9. जहां तक अपील संख्या 1749/12/भीलवाड़ा में आगत कर के मुजरे को अस्वीकार कर, शास्ति व अनुवर्ती ब्याज आरोपित किये जाने का प्रश्न है, कथन किया कि व्यवहारी द्वारा जब विक्रेता व्यवहारी से माल क्रय किया गया था, राज्य के पंजीकृत व्यवहारी था, विक्रेता व्यवहारी के विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र पश्चात्वर्ती निरस्त किया हैं, इस संबंध में किसी भी क्रेता व्यवहारी को किस प्रकार ज्ञात हो सकता है ? क्रेता व्यवहारी द्वारा समस्त संव्यवहार सद्भावनापूर्ण किया गया था । कथन किया कि समस्त लेन देन बहियात में दर्ज है। वैट इनवॉयस सही जारी किये गये हैं तथा निर्धारण अधिकारी को नियमित रिटर्न पेश किये गये हैं तथा रिटर्न के अनुसार बनने वाला कर भी जमा करवाया गया है। रिटर्न के अनुसार कोई कर बकाया नहीं है। निर्धारण अधिकारी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि विक्रेता व्यवसायी की किस धारा के अन्तर्गत आई टी सी जमा कराने की जिम्मेदारी है । कथन किया अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्रय की गयी खरीद पूर्णतः सही है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का तर्क है कि सद्भाविक रूप से क्रय किये गये संव्यवहार पर आई टी सी नहीं दिया जाना अनुचित है। उसके द्वारा माल जिस विक्रेता से क्रय किया गया है वह विभाग में तत्समय पंजीकृत था। नियमित रूप से रिटर्न फाइल किये गये हैं। विक्रेता के विक्रेता अथवा उससे भी और आगे किसी व्यवसायी ने कर जमा करवाया अथवा नहीं, यह मालूम करना प्रत्यर्थी व्यवसायी के लिए सम्भव नहीं था। अतः उक्त बिन्दु पर भी पारित अपीलीय आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की गयी ।

10. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अग्रिम अभिवाक् किया गया कि व्यवहारी द्वारा सद्भावित रूप से माल खरीदा गया था, प्रमाणित वैट इनवाइस से माल कय किया गया था तथा सद्विश्वास से आई. टी. सी. का क्लेम किया गया जो निम्न तथ्यों से प्रमाणित होता है :-

- (i) वक्त संव्यवहार विक्रेता पंजीकृत व्यवहारी था, टिन नं. सही विद्यमान थे।
- (ii) वैट इनवाइस से माल कय किया गया था, जो कि विक्रेता व्यवहारियों द्वारा जारी किये गये थे।
- (iii) विक्रेता व्यवसायी द्वारा सही वैट जारी कर बहियात में दर्ज किया गया।
- (iv) विक्रेता व्यवहारियों द्वारा विभाग में पेश किये गये रिटर्न में सही बिक्री दर्शायी गये।
- (v) रिटर्न के अनुसार कोई कर बकाया नहीं था।

11. अग्रिम अभिवाक् किया कि किसी पत्र के आधार पर आरोपित कर के दायित्व की जिम्मेदारी नहीं बनती एवम् व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 10 के भार को प्रमाणित किया गया है तथा अधिनियम की धारा 16(6) के प्रावधानानुसार किसी व्यवहारी के पंजीकरण प्रमाण पत्र के निरस्त होने की दशा में भी, उस पर कर का दायित्व बना रहता है एवम् व्यवहारी के प्रमाण पत्र निरस्त होने की स्थिति में भी, क्रेता व्यवहारी पर कर का कोई दायित्व नहीं बनता है। व्यवहारी द्वारा सद्भाविक रूप से सही दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं अतः ऐसी स्थिति में, निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिक सिद्धान्तों के विपरीत है जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा चाहे गये आगत कर के मुजरे को स्वीकार कर, इस संबंध में उक्त को अस्वीकार कर, कायम की गयी ब्याज व शास्ति की मांग राशियों को अस्वीकार करने की प्रार्थना कर, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया गया।

12. उक्त बिन्दु के संबंध में अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने पुनः कथन किया कि अधिनियम की धारा 18(2) के प्रावधानों के प्रकाश में, वैट कर जमा कराये जाने का सत्यापन होने की दशा में ही, आगत कर का मुजरा प्रदान किये जाने योग्य है अन्यथा आगत कर के मुजरा प्रदान नहीं किया जा सकता। अग्रिम कथन किया कि वैट व्यवस्था में विक्रेता व्यवहारी द्वारा कर जमा नहीं कराने की दशा में, आगत कर के मुजरे का दावा कैसे स्वीकार किया जा सकता है ? तर्क दिया कि व्यवहारी को मौका दिया गया था कि वह इस संबंध में खरीद के संबंध में कर जमा कराने के सबूत के भार निर्वहन करे परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर जमा कराने का कोई सबूत के भार का निर्वहन नहीं किया गया है जो अधिनियम की धारा 10 के विशिष्ट प्रावधानों के प्रकाश में, बाध्यकारी है। इसी प्रकार,

July

✓

अधिनियम की धारा 18(3)(V) के प्रावधानों के प्रकाश में भी आगत कर का मुजरे का दावा अस्वीकार करने को विधिसम्मत होने का कथन किया गया । अग्रिम अभिवाक् कियों कि अधिनियम की धारा 18(2) के आलोक में, विद्वान निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः उक्त बिन्दु पर भी निर्धारण आदेश का समर्थन कर, कायम की गयी मांग राशि को यथावत रखने की प्रार्थना की गयी ।

13. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी के अभिलेखों का अवलोकन करते हुए प्रोद्धरित न्यायिक निर्णयों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

14. प्रकरणों में उपलब्ध रेकॉर्ड के अनुसार विभाग को राज्य के भीलवाड़ा संभाग के एक्सप्लोजिव व्यवहारियों के राज्य में की गई विस्फोटक बिक्री को 'सी' फॉर्मों के समर्थन पर या राज्य के बाहर अपनी दुकानें खोलकर अन्तर्राज्यीय विक्रय दिखाकर राज्य के कर का अपवंचन करने संबंधी सूचनाएं प्राप्त हुईं। इस पर मध्यप्रदेश राज्य के बिक्री कर विभाग से जांच कराने पर पाया गया कि प्रश्नगत क्रेताओं द्वारा मध्यप्रदेश बिक्री कर विभाग में प्रस्तुत बिक्री विवरणों में प्रत्यर्थी व्यवहारी से क्रय किया गया माल प्रत्यर्थी द्वारा दर्शाये गये विक्रय से कम घोषित किया हुआ है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलीय स्तर पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं जिससे यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत इन दस्तावेजी साक्ष्यों के संबंध में ना तो किसी प्रकार की जांच की गई है और न ही इनके विरुद्ध कोई तथ्य कर निर्धारण आदेशों में अंकित किये गये है। कर निर्धारण अधिकारी ने मध्यप्रदेश बिक्री कर विभाग के कर निर्धारण अधिकारियों को क्रेता व्यवहारियों द्वारा दिये गये घोषणा पत्रों की छायाप्रतियों को आधार मानते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की अन्तर्राज्यीय बिक्री को, क्रेता व्यवहारियों से उसका प्रतिपरीक्षण करवाये बिना ही राज्य के भीतर बिक्री माना है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को क्रेताओं द्वारा माल का भुगतान जरिये बैंक चैक/डी.डी. किये जाने के तथ्य को भी क्रेताओं के खातों में सत्यापित नहीं किया गया है। यद्यपि घोषणा पत्रों में घोषित विक्रय एवं क्रेता के काउंटर फाइल में दर्शाई गई खरीद के अन्तर से दोनों पक्षों को रियायती कर दर या कर बचाने का लाभ हुआ है, लेकिन विक्रेता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में विक्रय को अन्तर्राज्यीय बिक्री अस्वीकार किया जाना विधिसम्मत नहीं होगा। प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में 'सी' फॉर्म के सद्भावी (Genuine) होने, विभाग द्वारा जारी होने, 'सी' फॉर्म में पूर्ण विक्रय विवरण अंकित होने तथा क्रेता द्वारा हस्ताक्षरित होने के आधार पर प्रश्नगत 'सी' फॉर्म को कूटरचित नहीं माना जा सकता है। कर निर्धारण अधिकारी ने भी प्रश्नगत घोषणा पत्र 'सी' को किसी जांच से फर्जी/कूटरचित नहीं ठहराया है।


15. इस संबंध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2005) 139 STC- 245 एवं पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ के न्यायिक दृष्टान्त (2011) 42


VST- 192 से संबंधित प्रकरणों में क्रेता द्वारा तथाकथित चोरी किये गये घोषणा प्रपत्र विक्रेता को जारी किये जाने एवं विक्रेता के क्रेता व्यवहारी सही होने के सद्भावी विश्वास के साथ प्रस्तुत इन घोषणा प्रपत्रों पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विक्रेता को रियायती कर दर का लाभ स्वीकार करने से इन्कार किये जाने को न्यायालयों ने विधिसम्मत नहीं माना है।

16. उक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत सबूतों के आधार पर उसके विवादित अन्तर्राज्यीय विक्रय को राज्य के भीतर की बिक्री मानना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी ने अपूर्ण जांच के आधार पर एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा पेश किये गये सबूतों के विरुद्ध रेकार्ड पर कोई युक्तियुक्त व प्रथम दृष्टया विश्वसनीय तथ्य नहीं के दृष्टिगत प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में विस्फोटक की विवादित अन्तर्राज्यीय विक्रय को राज्य के भीतर बिक्री करना अवधारित करते हुए इस पर अन्तर कर, ब्याज एवं करापवंचन हेतु कर की दुगुनी शास्ति आरोपित किये जाने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित रूप से प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने हेतु विधिक रूप से तीनों अपील प्रकरणों को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कियो गया है। अतः उक्त बिन्दु पर पारित अपीलीय आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना यह पीठ उचित नहीं समझती है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच के समय यह भी सुनिश्चित करें कि समस्त संव्यवहार किस प्रकार अर्थात् नकद अथवा बैंक के माध्यम से जरिये चैक या डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये किये गये हैं तत्पश्चात्, समस्त संव्यवहार की जांच कर, निर्धारण आदेश पारित करें। फलस्वरूप, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त बिन्दु पर प्रस्तुत तीनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

17. परिणामतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों की पुष्टि की जाती है।

18. निर्णय सुनाया गया।


23-1-14
(अमर सिंह)
सदस्य


23.1.2014
(मदन लाल)
सदस्य